मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 17.08.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा बालिका के साथ घर मे घुस कर छेड़खानी व मारपीट करने वाला अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार –

थाना कछवां, जनपद मीरजापुर पर दिनांक 16.08.2022 को थाना कछवां क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि वादी की नाबालिग भतीजी के साथ नामजद अभियुक्त द्वारा घर मे घुस कर छत पर चढ़कर छेड़खानी करते हुए हाथ पकड़ कर खींचने तथा विरोध करने पर हाथ में चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-112/2022 धारा 452/354/323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम आमिर हुसैन उर्फ बाबू पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध चलायें जा रहे अभियान के क्रम में उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना की विधिक एवं निष्पक्ष विवेचना तथा अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गये। उक्त निर्देश के क्रम में गठित टीम द्वारा साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांक 17.08.2022 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर के सूचना के आधार पर अभियुक्त आमिर हुसैन उर्फ बाबू पुत्र अनवर हुसैन उर्फ फौजदार निवासी मु0 नगर पंचायत कछवां वार्ड तेग बहादुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर को थाना कछवां क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1.आमिर हुसैन उर्फ बाबू पुत्र अनवर हुसैन उर्फ फौजदार निवासी मौ0 नगर पंचायत कछवां वार्ड तेग बहादुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-112/2022 धारा 452/354/323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कछवां मीरजापुर।

विवरण बरामदगी—

घटना में प्रयुक्त पेपर कटिंग करने वाला छोटा चाकू।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना कछवां मय टीम।